Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department

Notification

G.S.R. ____________________ Patna, Dated ___________

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order No. **2716(E)** Dated **29th November, 2011** and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, **Rice** for a further period **up to 30th November, 2012,** from the date of commencement of this order.

2. The deletion of **Rice** from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification GSR no. 5, dated 25th October, 2002 shall be kept in abeyance upto **30th November, 2012.**
3. The validity of the departmental notification issued vide memo no. **9315** dated **21.11.2011** is extended upto **30th November, 2012**.
4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.
5. This notification shall come into force at once.

(Pra/04-aa-01/09-Part-IV)
By order of the Governor of Bihar
03/07/2012
(Krishna Chandra Jha)
Additional Secretary to the Govt. of Bihar

D:\2009\SEC_4\GSR.doc
45/03.01.2012

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 .... पटना/दिनांक ....

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या–**2716(अ)** दिनांक **29 नवम्बर, 2011** से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (चौथा संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम–10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश–2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् **चावल** को **30 नवम्बर, 2012 तक** की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

2. विभागीय अधिसूचना जी0एस0आर0संख्या 5, दिनांक 25.10.2002 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची 1 से **'चावल'** को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी **30 नवम्बर, 2012** तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा।
3. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक **9315** दिनांक **21.11.11** द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक **30 नवम्बर, 2012** तक के लिए विस्तारित किया जाता है ।
4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

5. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(प्र04/आ–01/09(खंड–IV)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03/01/2012

(कृष्ण चन्द्र झा)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01/2009(खण्ड– IV) 45 दिनांक– 03.01.2012

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 200 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु० दो हार्ड कापी एवं एक सी०डी०।

03/01/2012

सरकार के अपर सचिव ।

D:\2009\SEC_4\GSR.doc

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01/2009(खण्ड– IV) 45 दिनांक– 03.01.2012

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी सचिव/आयुक्त एवं सचिव,/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी–6, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्य लोक, पटना/श्री श्रीकांत लाभ, महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स असोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना–4/डा0 लखी चन्द यादव, महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदइार संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

03/01/2012

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01/2009(खण्ड– IV) 45 दिनांक– 03.01.2012

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार,पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव कोषांग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

03/01/2012

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01/2009(खण्ड– IV) 45 दिनांक– 03.01.2012

प्रतिलिपि – आई0 टी0 पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

03/01/2012

सरकार के अपर सचिव